न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 25/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. खेतसिंह पुत्र बनेसिंह निवासी– रामनगर, देणोक तहसील आउ जिला जोधपुर वगैराह कुल 21 अपीलान्ट पक्षकार		1. राज्य जरिये तहसीलदार, आउ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा आदेश कमांक प्र.ग. सं/ /2021/715 दिनांक 17.12.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 07 फरवरी, 2022

1. अपीलान्टगण ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा आदेश कमांक प्र.ग.सं/751 दिनांक 17.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक तहसीलदार आउ के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के ग्राम रामनगर देणोक में आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 कैम्प में धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम रामनगर देणोक में आई हुई ख0सं0 1315 में रकबा 0.0971 हैक्टर, ख0सं0 1314/3 में 0.0647 हैक्टर एवं ख0सं0 1421 रकबा 0.0.647 हैक्टर भूमि सीमा तक चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा सुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अमल–दरामद किये जाने की अनुशंसा की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित खसरान की रकबा को रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में अमल दरामद

करने का आदेश दिनांक 17.12.2021 को पारित किया है जों अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। जिससे अपीलान्टस व्यथित होने से अपील प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आयोजित शिविर में पत्रावली ले जाकर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया एवं उसकी भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश दे दिया। धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में रही लिपिकिय त्रुटि को ही शुद्ध करने का प्रावधान है जबकि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण रेकर्ड को बिना किसी आधार पर बदला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त रास्ता अभियान हेतु जिस परिपत्र को जारी किया गया है उसमें ऐसी कोई मंशा नहीं है एवं नहीं ही ऐसे कोई निर्देश दिये हुए है। जबकि रास्ते सम्बन्धी कार्यवाही हेतु धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पहले से ही प्रावधान दिये हुए है। ऐसे में उक्त अधिनियम की मूल भावना से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं

4. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी की खसरान भूमि में से कोई रास्ता कभी चलता ही नहीं था न ही कभी किसी को रास्ते की आवश्यकता थी। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उनका पक्ष जाने बिना ही पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्टगण के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्टगण ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम रामनगर देणोक के ख0सं0 1315 मे रकबा 0.0971 हैक्टर, ख0सं0 1314/3 में 0.0647 हैक्टर एवं ख0सं0 1421 रकबा 0.0.647 हैक्टर भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा सुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अमल–दरामद किये जाने जो प्रशासन ग्रामों के संग अभियान, 2021 के कैम्प में दिनांक 17.12.2021 को जो आदेश पारित किया है

जिसमें अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

6. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है।

7. इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को मौके पर उपस्थित रखते हुए मौका रिपोर्ट तैयार करने के उपरान्त उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि मे यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 7 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर